(98)

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग — 1136 - II - 16

प्रदीप यादव तनय श्री भागीरथ यादव,
निवासी ग्राम झिकमऊ, तहसील महाराजपुर,
जिला छतरपुर (म०प्र०) ....आवेदक

//विरूद्ध//

श्रीमती पड़रावाली बेवा स्व. श्री गोरेलाल यादव,
निवासी ग्राम झिकमऊ, तहसील महाराजपुर,
जिला छतरपुर (म०प्र०) ....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव (एड.) द्वारा आज दि. 6/4/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-4-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा--50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमाँक 12/अपील/2015--16 में पारित आदेश दि.28--03--2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:--

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक ने अनावेदिका से विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से ग्राम झिकमऊ तहसील महाराजपुर से भूमि हिस्सा 1/6 रकवा 14.450 हे0 क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इश्तहार प्रकाशन उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई जिसमें अनावेदिका द्वारा विधिवत भूमि विक्रय करने और आवेदक के नाम नामांतरण किए जाने में अपनी सहमति देने के उपरांत भी नामांतरण विचारण न्यायालय द्वारा न करते हुए अपना दूषित प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत आदेश एवं कार्यावाही से परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582--244808

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... निग. 1136 II/16 ..... जिला .... छतरपुर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.4.16.	1– आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से अधिवक्ता डी.के. पासी उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2–मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० के प्र.क्र. 12/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28/03/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि स्थित ग्राम झिकमऊ तहसील महाराजपुर की भूमि हिस्सा 1/6 रकवा 14.450 हे0 अनावेदिका से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, इश्तहार प्रकाशन उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, जिसमें अनावेदिका द्वारा विधिवत भूमि विक्रय करने और आवेदक के नाम नामांतरण किए जाने में अपनी सहमति देने के उपरांत भी नामांतरण विचारण न्यायालय द्वारा न करते हुए अपना दूषित प्रतिवेदन प्रेषित किया। इस कारण यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4– आवेदक की ओर से तर्क में यह भी कहा गया है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर चाहे गये नामांतरण को न कर सिलिंग एक्ट के प्रभावी होने बावत् प्रतिवेदन दिया है जबकि खसरा की प्रतियों मे 86 हे0 भूमि संयुक्त परिवार की होने से तथा कृषि जोत सीमा अधिनियम के तहत अनावेदिका को 54 एकड़ की पात्रता होने से प्रस्तावित कार्यवाही मान्य योग्य नहीं है जिसके प्रमाण में खसरा की प्रतियां, रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.08.14 की प्रति एवं कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 7(ग) की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उल्लेख है "कृषक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 7(ग) में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां धारक किसी ऐसे कुटुम्ब का सदस्य है जिसमें 5 से अधिक सदस्य है तथा ऐसी भूमि जो एक फसल देने योग्य है तथा उस फसल के लिये सुनिश्चित सिंचाई या	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सुनिश्चित प्राईवेट सिंचाई प्राप्त करती हो तो प्रत्येक सदस्य 54 एकड़ भूमि रखने की पात्रता रखता है।" इस प्रकार अनावेदिका के हिस्से 54 एकड़ भूमि की पात्रता के आधार पर उसके द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र (35 एकड़) में सिलिंग अधिनियम प्रभावशील नहीं है। विचारण न्यायालय को विधिवत नामांतरण की कार्यवाही करना थी इस कारण उन्होंने प्रश्नगत आदेश दि.30.05.15 निरस्त किए जाने का अनुरोध किया हैं।

5– यह कि आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है। कि क्रेता एवं विक्रेता के परिवार में सिलिंग प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 1474/अ–90/बी–3 आदेश दि. 07.04.75 की प्रति प्रस्तुत कर, आवेदक को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण किय जाने और अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश एवं प्रचलित कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया है।

6– अनावेदिका की ओर से अधिवक्ता डी.के.पासी द्वारा आवेदक के तर्को पर मौखिक स्वीकृति देते हुए नामांतरण किए जाने और निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।

7– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय तहसीलदार महराजपुर के समक्ष आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें इश्तहार उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई जिसमें हल्का पटवारी द्वारा विवादित भूमि में आवेदक के परिवारों के हिस्से का उल्लेख किया है तहसीलदार द्वारा नामांतरण न कर सीलिंग प्रावधानों का आधार लेकर प्रकरण निराकृत किया है जबकि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया जाना सर्वोपरी है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 1474/अ–90/बी–3 आदेश दिनांक 07.04.75 की प्रति के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि आवेदक एवं अनावेदिका के परिवार के मध्य सीलिंग का प्रकरण पूर्व में चला था, आवेदक द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायालय वर्ग–1 जिला छतरपुर के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1136 II/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण क. 130/ए/74 आदेश दि. 13.12.74 के आदेश में भी सीलिंग एक्ट का कोई उल्लघंन नहीं होना लेख किया गया है। जिसका उल्लेख अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.03.16 में किया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार महराजपुर एवं अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रश्नगत आदेश एवं प्रचलित कार्यावाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 8— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.16 एवं तहसीलदार महराजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.15 निरस्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार महराजपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण की कार्यावाही विधि अनुसार करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	